



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275494
CG-DL-E-17082026-275494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4357]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4357]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

का.आ. 4537(अ).— महानिदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर विनियम, 2024 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर (सातवां संशोधन) विनियम, 2026 है।

(2) ये तारीख 17 अगस्त, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर विनियम, 2024 में – विनियम 51 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

(क) “51. मृत व्यक्ति को संबोधित डाक-वस्तु प्रेषक को वापस कर दी जाएगी, जहां प्रेषक का विवरण डाक-वस्तु पर उपलब्ध है, या जहां ऐसे विवरण उपलब्ध नहीं हैं, वहां डाक-वस्तु का निपटान विनियम 65 के उप-विनियम (3) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।”

(ख) विनियम 65 में, -

(i) उप-विनियम (1) में, खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (2) में, “या अधिकृत व्यक्ति” शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 01-01/2025-पीओ-भाग-(4)]

दुष्यंत मुद्गल, उप महानिदेशक

टिप्पण : डाकघर विनियम, 2024, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5440 (अ.), तारीख 16 दिसंबर, 2024 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक का.आ. 4241 (अ.), तारीख 31 जुलाई, 2026 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2026

S.O. 4537(E) .— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), the Director General, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Post Office Regulations, 2024, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Post Office (Seventh Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the 17th day of August, 2026.

2. In the Post Office Regulations, 2024, - for regulation 51, the following shall be substituted, namely: —

(a) “51. Item addressed to a deceased person shall be returned to the sender, where the particulars of the sender are available on item, or where such particulars are not available, the item shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-regulation (3) of regulation 65.”,

(b) In regulation 65, -

(i) in sub-regulation (1), clause (c) shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (2), the words “or authorised person” shall be omitted.

[F. No. 01-01/2025-PO-Part-(4)]

DUSHYANT MUDGAL, Dy. Director General

Note: The Post Office Regulation, 2024 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 5440 (E), dated the 16th December, 2024 and were last amended vide number S.O 4241 (E) dated the 31st July 2026